Geography Ph.D Admission 2026

Research Centre

Chaitanya Science and Arts College, Pamgarh

(An Autonomous Institution)

NAAC Accredited with Grade “A”

Pamgarh, Dist – Janjgir-Champa (C.G.)

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई–मेल : registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट : https://snpv.ac.in

क्रमांक 2800/अका./पी.एच.डी./2026 रायगढ़, दिनांक 27-02-2026

–: अधिसूचना :–

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्री. पी. एच.डी. प्रवेश परीक्षा DET-2026(Doctoral Entrance Test) हेतु निम्नांकित विषयों में दिनांक 02.03.2026 से 31.03.2026 तक ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

क्र	विषय (कॉलम क्र–01)	बैकलॉग सीट संख्या DET (कॉलम क्र–02)					(DET-2026) से संबंधित नवीन सीट संख्या (कॉलम क्र–03)	कुल सीट संख्या (कॉलम क्र–04) (E+3)
		अनु. जाति SC	अनु.ज.जा. ST	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) OBC	दिव्यांग सीट संख्या	कुल सीट संख्या SC/ST/OBC Non Creamylayer एवं दिव्यांग		
		A	B	C	D	E		
01	राजनीति शास्त्र	-	-	-	-	-	20	20
02	वनस्पति शास्त्र	-	-	-	-	-	8	8
03	रसायन शास्त्र	-	-	-	-	-	16	16
04	वाणिज्य	-	-	-	-	-	24	24
05	विधि	-	-	-	-	-	16	16
06	हिन्दी	-	-	-	-	-	32	32
07	अर्थशास्त्र	-	-	-	-	-	16	16
08	भूगोल	-	-	-	-	-	28	28
09	इतिहास	-	-	-	-	-	8	8
10	अंग्रेजी	-	-	-	-	-	16	16
11	समाजशास्त्र	-	-	-	-	-	16	16
12	माईक्रोबॉयोलॉजी	-	-	-	-	-	4	4
13	गणित	-	-	-	-	-	4	4
14	मनोविज्ञान	-	-	-	-	-	4	4
कुल सीट संख्या		-	-	-	-	-	212	212

नोट:– 1. (DET-2026)से संबंधित सीट संख्या पर छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति लागू होगा।

2. विकलांग एवं महिला वर्ग हेतु राज्य शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जावेगा।

नियम व शर्तें:–

1. **ऑनलाइन आवेदन शुल्क का विवरण :–**

(i) सामान्य वर्ग :–1500/–

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व.(नॉन क्रीमीलेयर) वर्ग:– 1000/–

(iii) दिव्यांगः—निःशुल्क
[छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग(नॉन क्रीमीलेयर)/दिव्यांग वर्ग के लिए ही लागू होगा]

2. प्रवेश श्रेणी :—प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है:—

(अ) DET श्रेणी :— इस श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जावेगा।

(ब) DET Exempted श्रेणी :—इस श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से छूट प्राप्त होगी।

3. प्रवेश परीक्षा हेतु अनिवार्य पात्रता :— प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी संबंधित विषय के स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55 % अंक या समकक्ष ग्रेड पाइंट के साथ उत्तीर्ण हो। छ..ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी हेतु उपरोक्त पात्रता 50% अथवा ग्रेड पाइंट होने पर समतुल्य छूट के साथ होगी। **यह पात्रता DET श्रेणी एवं DET Exempted श्रेणी दोनों के अभ्यर्थी हेतु अनिवार्य रुप से लागू होगी।**

4. प्रवेश परीक्षा से छूट हेतु पात्रता :— संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी जो निम्नानुसार शर्तों को पूर्ण करते हैं, प्रवेश परीक्षा में छूट के लिए पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी DET Exempted श्रेणी के अंतर्गत आएंगे—

(अ) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने UGC-CSIR (JRF) परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा UGC-NET लेक्चरशिप /CGSET की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा राष्ट्रीय एजेंसी जैसे—ICAR, ICSSR आदि द्वारा आयोजित (JRF) परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने UGC-NET के तीनों कैटेगरी 1, 2 व 3 में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

- **इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण—पत्र अपलोड करना होगा।**

(ब) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2009 अथवा विनियम 2016 के अनुसार एम.फिल की उपाधि प्राप्त की हो।

- **इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज (एम.फिल/पी.एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2009 अथवा विनियम 2016 के अनुसार एम.फिल की उपाधि अपलोड करना होगा।**

(स) ऐसे अभ्यर्थी जो शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालंय, रायगढ़ (छ.ग.) के किसी विभाग या इस विश्वविद्यालय के किसी संबद्ध महाविद्यालय में संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं।

- **इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज (नियमित नियुक्ति संबंधी एवं न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र) अपलोड करना होगा।**

(द) ऐसे अभ्यर्थी जो किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय (उदाहरण के लिए—CSIR द्वारा वित्त पोषित आदि) और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (उदाहरण के लिए—WHO द्वारा वित्त पोषित आदि) के वैज्ञानिक के रूप में दो वर्ष का कार्यानुभव रखते हैं।

- **इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज (नियमित नियुक्ति संबंधी एवं न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र) अपलोड करना होगा।**

(इ) ऐसे अभ्यर्थी जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों तथा प्रशासनिक प्रबंधन में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव रखते हों एवं विभागीय शोध समिति के मतानुसार संबंधित शोध विषय के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों।

- **इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज (नियमित नियुक्ति संबंधी एवं न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र) अपलोड करना होगा।**

DET Exempted प्रवेश श्रेणी के अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में DET Exempted प्रवेश श्रेणी की पात्रता नहीं होगी।

5. अभ्यर्थी को पात्रतानुसार DET प्रवेश श्रेणी / DET Exempted प्रवेश श्रेणी /DETएवं DET Exempted दोनों, प्रवेश श्रेणी के चयन का निर्धारण आवेदन के समय स्वयं करना होगा। DET Exempted प्रवेश श्रेणी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी भी DET प्रवेश श्रेणी का चयन कर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक बार श्रेणी चयन की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् प्रवेश श्रेणी में परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा तथा प्रवेश श्रेणी परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। DET Exempted प्रवेश श्रेणी में आवेदन कर रहे अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रवेश श्रेणी हेतु वे पात्र हैं अथवा नहीं। आवेदन की अंतिम तिथि पश्चात DET Exempted प्रवेश श्रेणी के अभ्यर्थी के द्वारा भरे हुए ऑनलाईन आवेदन का DRC (विभागीय शोध समिति) के द्वारा पात्रता निर्धारण उपरांत अभ्यर्थी के E-mail में पात्रता संबंधी जानकारी प्रवेश परीक्षा के पर्याप्त समय पूर्व प्रेषित किया जाएगा। इस आधार पर अभ्यर्थी स्वयं निर्धारण करें कि उन्हें DET प्रवेश परीक्षा में शामिल होना है या DET Exempted प्रवेश श्रेणी में रहना है। अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। दोनों प्रवेश श्रेणी (DET एवं DET Exempted) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को दोनों प्रवेश श्रेणी हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा आवेदन शुल्क भी पृथक पृथक देय होगा।

6. परीक्षा की पात्रता निर्धारित करने वाले समस्त आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र आवेदन आमंत्रण के अंतिम तिथि के पूर्व के होने चाहिए। इस तिथि के पश्चात् के दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।

7. DET प्रवेश श्रेणी के अभ्यर्थी से आवेदन के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मंगाए जा रहे हैं अतः ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा संबंधी निर्धारित योग्यता रखते हैं या नहीं, यह स्वयं सुनिश्चित कर लें।

8. किसी विषय में DET श्रेणी या DET Exempted श्रेणी दोनों की सीटों का आबंटन विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. विनियम क्रमांक–13 के प्रावधानानुसार यथा संभव 50%–50% किया जावेगा। किसी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या न होने पर DET श्रेणी या DET Exempted श्रेणी के लिए आबंटित सीटों का परस्पर परिवर्तन किया जा सकेगा। दोनों श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु दोनों श्रेणी में पात्र होंगे परन्तु उनका प्रवेश किसी एक श्रेणी में ही होगा, जिसका निर्णय **DRC (विभागीय शोध समिति)** के द्वारा किया जाएगा।

9. इस अधिसूचना के कॉलम क्रमांक 03 में उल्लेखित (नवीन) सीटों में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) तथा महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को छ.ग. शासन की आरक्षण नीति व उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संस्था में प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा। यह आरक्षित सीटें परिवर्तित नहीं होंगी। जबकि कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सीटें बैकलॉग की सीटें हैं जिसे उसी श्रेणी से भरा जावेगा। बैकलॉग की सीटें पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जाने पर उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संस्था में प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार विपरीत क्रम में पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

10. प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम DET–2026 हेतु 50% प्रश्न शोध प्रविधि (Research Methodology) से तथा 50% प्रश्न राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जायेंगे। (पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के वेब–पटल में उपलब्ध)

11. **प्रवेश परीक्षा पद्धतिः–**

(i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के 04 उत्तर विकल्प के रूप में दिये जायेंगे, 04 में से 01 विकल्प का चयन करना होगा।

(ii) ओएमआर आंसरशीट में 04 में से 01 उत्तर पर नीले/काले बॉल पेन से गोला पूर्णतः भरना होगा। एक से अधिक गोले भरने या अधूरे गोले भरने पर उत्तर अमान्य किये जायेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर ओएमआर आंसरशीट पर अंकित नहीं किये गये होंगे उनकेलिये शून्य अंक प्रदान किये जायेंगे।

(iii)प्रत्येक प्रश्न के एक अंक होंगे।

(iv) ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा।

(v) परीक्षा की समयावधि 02 घंटे की होगी।

(vi) ओ.एम.आर. की कार्बन कापी अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरांत अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

12. प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु अर्हकारी अंक न्यूनतम 50% होगें। आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा निःशक्तजन) के अभ्यर्थी हेतु अर्हकारी न्यूनतम अंक 45% होंगे। अर्हकारी अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

13. प्री.पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा के पश्चात् मॉडल आन्सर जारी किये जायेंगे। जिस पर ऑनलाइन दावा आपत्ति हेतु एक नियत अवधि प्रदान किया जायेगा। दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम उत्तर जारी किया जायेगा। जिसके आधार पर परिणाम जारी किये जाएंगे। जारी किये गये अंतिम उत्तर पर किसी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार या मान्य नहीं किया जायेगा।

14. मॉडल आन्सर पर दावा आपत्ति पश्चात् विषय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर यदि कोई प्रश्न निरस्त किये जाते हैं तो ऐसे निरस्त किये गये प्रश्नों के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में अंक प्रदान किये जायेंगे भले ही अभ्यर्थी ने निरस्त किये गये प्रश्न को हल किया हो या नहीं। उत्तरशीट का मूल्यांकन ओएमआर मशीन से किया जायेगा। अतः पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा।

15. दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को सहलेखक की सुविधा दी जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी तथा सहलेखक को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। सहलेखक ने DET परीक्षा से एक वर्ष पूर्व अर्थात सत्र 2025 की दसवीं, बारहवीं अथवा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अभ्यर्थी को सहलेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस संबंध में केन्द्राध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

16. प्री.पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा (DET–2026) से संबंधित संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालय के वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहे। पृथक से व्यक्तिशः सूचना जारी नहीं किया जायेगा।

17. प्रवेश परीक्षा से संबंधित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी के निर्वचन का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। किसी भी समय प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया स्थगित करने, निरस्त करने एवं शर्तें निहित करने का तथा किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

18. प्रवेश परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम आदि के संबंध में संशोधन/सुधार/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

19. **प्रवेश परीक्षा की तिथि, समय, स्थान एवं प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.snpv.ac.in पर प्रकाशित की जायेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट का सतत् अवलोकन करते रहें।**

20. DET–2026 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हेतु DET –2026 प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांको का भार 70% तथा साक्षात्कार का भार 30% प्रदान किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के अंक तथा साक्षात्कार के अंक के योग के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। DET Exempted श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. विनियम क्रमांक–13 (यथा संशोधित) (वेबपटल पर उपलब्ध) के प्रावधानानुसार विभागीय शोध समिति के द्वारा किया जावेगा।

21. किसी शासकीय अथवा निजी संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अपने नियोक्ता से निर्धारित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि शोधार्थी के कोर्सवर्क की अवधि में संपूर्ण दिवस/वांछित दिवस का अवकाश प्रदान किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 42 के प्रावधानानुसार कुल वांछित दिवस का अवकाश प्रदान किया जाएगा।

22. विषयवार संलग्न विभागीय शोध समिति केन्द्र के माध्यम से प्रवेश की प्रकिया सम्पन्न की जावेगी।

23. **इस अधिसूचना में कुल सीट संख्या वर्तमान में उपलब्ध मान्य शोध निदेशकों के अनुसार प्रदर्शित की गयी है। प्रवेश के समय शोध निदेशकों की उपलब्धता के आधार पर सीट संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।**

24. अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाए जाने पर पी–एच.डी. प्रवेश या शोध कार्य की अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर घोषित किया जाएगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव
कुलसचिव
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय
रायगढ़ (छ.ग.)